निदेशक, खान की अध्यक्षता में दिनांक–27.01.2026 (मंगलवार) को पूर्वाह्न 11:00 बजे से VC के माध्यम से आहूत विभागीय समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थितिः– VC के माध्यम से।

समीक्षा के क्रम में VC के माध्यम से जिलों के सभी सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी/खान निरीक्षक को निम्न बिन्दुओं पर निदेश दिए गए :–

1. **समाहरण :–**

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि सभी जिलों के लिए कुल निर्धारित लक्ष्य 4756.73 करोड़ के विरूद्ध 23 जनवरी, 2026 तक मात्र 2175.42 करोड़ रूपये का समाहरण प्राप्त हुआ है, जो काफी कम है।

वार्षिक लक्ष्य के विरूद्ध 23 जनवरी, 2026 तक का जिन जिलों का 50% से कम है यथाः– मुंगेर, शिवहर, सारण, जमुई, जहानाबाद, पटना, लखीसराय, मधुबनी, औरंगाबाद, दरभंगा, बेगूसराय, कटिहार, मधेपुरा, गया, मुजफ्फरपुर, सुपौल, नालंदा, रोहतास, कैमूर, पूर्णियाँ, सीतामढ़ी, बेतिया, सीवान एवं सहरसा जिलों को सख्त निदेश दिया गया कि समाहरण का प्रतिशत हर–हालत में आगामी बैठक के पूर्व 60% तक होना आवश्यक है अन्यथा अनुशासनिक कार्रवाई के लिए बाध्यकारी परिस्थिति उत्पन्न न हो।

राजस्व समाहरण में व्यक्तिगत रूचि लेते हुए लक्ष्य की शत–प्रतिशत प्राप्ति करना सुनिश्चित किया जाय।

(अनुपालन :– सभी सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी)

2. **कार्य विभाग से प्राप्त होने वाले राजस्व समाहरण की अद्यतन स्थिति :–**

23 जनवरी, 2026 तक वैसे जिलों जिनका कार्य विभाग से प्राप्त होने वाले राजस्व समाहरण में प्रतिशत काफी कम है यथा :– रोहतास, पटना, नालन्दा, कैमूर, गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद, जमुई, मुंगेर, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, बेतिया, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्णियाँ, कटिहार, दरभंगा, मधुबनी, भागलपुर, सारण, सहरसा एवं सुपौल जिलों को निदेश दिया गया कि आगामी बैठक के पूर्व 50% समाहरण कार्य विभाग में व्यक्तिगत रूचि लेते हुए पूरा कर लें अन्यथा अनुशासनिक कार्रवाई के लिए बाध्यकारी परिस्थिति उत्पन्न न हो।

(अनुपालन :–सभी सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी)

3. **बालूघाटों के नीलामी/संचालन :–**

(i) राज्यान्तर्गत कुल–463 पीला बालूघाटों में से वर्तमान में 293 बालूघाट/कलस्टर नीलामित है तथा वर्तमान में 170 अनीलामित बालूघाट है। मात्र संचालित बालूघाटों की सं0–161 है। पीला बालूघाट वाले जिलों को सख्त निदेश दिया

गया कि अविलम्ब जिला समाहर्त्ता से समन्वय स्थापित कर अनीलामित बालूघाटों के लिए निविदा आंमत्रित करने की कार्रवाई की जाय, ताकि वित्तीय वर्ष 2025–26 में राजस्व समाहरण में वृद्धि हो।

(अनुपालन :– सहायक निदेशक / खनिज विकास पदाधिकारी)

(ii) राज्यान्तर्गत कुल उजले बालूघाटों / कलस्टरों की सं0–541 है। वर्तमान में नीलामित कुल–77 एवं अनीलामित कुल–456 है। इस संबंध में सख्त निदेश दिया गया कि अविलम्ब जिला समाहर्त्ता से समन्वय स्थापित कर नीलामी की कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

(अनुपालन :– सहायक निदेशक / खनिज विकास पदाधिकारी)

4. **EC निर्गत परन्तु कार्यादेश लंबित बालूघाटों की स्थिति :–**

रोहतास, पटना, औरंगाबाद, अरवल, गया, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, वैशाली, बेगूसराय जिलों का EC निर्गत है। लंबित बालूघाटों के संबंध में निदेश दिया गया कि अविलम्ब कार्यादेश नियमानुसार प्राप्त करें।

(अनुपालन :–सभी सहायक निदेशक / खनिज विकास पदाधिकारी)

5. **प्रत्यार्पित बालूघाटों के पुनर्नीलामी की समीक्षा :–**

राज्यान्तर्गत कुल प्रत्यार्पित बालूघाटों की सं0–78 है, जिसमें से मात्र 07 बालूघाट की सफल नीलामी हुई है। इस संबंध में सभी जिलों को निदेश दिया गया कि अविलम्ब निविदा का प्रकाशन कराकर नीलामी की कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

(अनुपालन :–सभी सहायक निदेशक / खनिज विकास पदाधिकारी)

6. **बालूघाट के एकरारनामा से संबंधित S-Drive की अद्यतन स्थिति :–**

राज्यान्तर्गत कुल बालूघाटों / कलस्टरों की सं0–1004 में से कुल एकरारनामा निष्पादित बालूघाटों की सं0–193 एवं कुल एकरारनामा निबंधन कराये गये बालूघाटों की सं0–42 है। इस संबंध में आवश्यक नियमानुसार कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन :–सभी सहायक निदेशक / खनिज विकास पदाधिकारी)

7. **कार्य विभाग के अन्तर्गत S-Drive से संबंधित स्थिति :–**

राज्यान्तर्गत कार्य विभाग के अन्तर्गत S-Drive से संबंधित दिनांक 20.01.2026 तक प्राप्त समाहरण 347.33 करोड़ एवं दिनांक 21.01.2026 से 22.01.2026 तक प्राप्त समाहरण 853.81 करोड़ है। वैशाली, सीवान, मोतिहारी, मधुबनी, सारण, रोहतास, पूर्णियाँ, पटना, कैमूर, किशनगंज का समाहरण शून्य है। उन जिलों के प्रभारी पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि S-Drive चलाकर राजस्व समाहरण की प्राप्ति सुनिश्चित करें।

(अनुपालन :–सभी सहायक निदेशक / खनिज विकास पदाधिकारी)

8. **अवैध खनन / परिवहन एवं भंडारण से संबंधित S-Drive की स्थिति :–**

राज्यान्तर्गत कुल 38 जिलों के प्रभारी पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि अवैध खनन / परिवहन एवं भंडारण के संबंध में S-Drive चलाकर नियमानुसार कार्रवाई

सुनिश्चित की जाय। कृत कार्रवाई की सूचना से कमांड एण्ड कंट्रोल सेन्टर को सूचित करें।

(अनुपालन :–सभी सहायक निदेशक / खनिज विकास पदाधिकारी)

अन्य बिन्दु :–

(1) राज्यान्तर्गत 38 जिलों के प्रभारी पदाधिकारियों को सख्त निदेश दिया गया कि साप्ताहिक खनन टॉस्क फोर्स की बैठक कराये एवं उस बैठक में विभागीय पक्ष को रखें। साथ ही जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में भी अपना पक्ष रखें।

(अनुपालन :–सभी सहायक निदेशक / खनिज विकास पदाधिकारी)

(2) जिन जिलों का EC/CTO/CTE एवं ToR लंबित है, नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाए।

(3) कार्य विभाग में प्राक्कलन की राशि / मालिकाना फीस से संबंधित आँकड़ों को वित्त विभाग के O-GRASS एवं ट्रेजरी मिलान कर अद्यतन स्थिति से मुख्यालय को अवगत करायें। कार्य विभाग के साथ नियमित रूप से सम्पर्क स्थापित रखें। विभाग द्वारा बनाये गये विहित प्रपत्र में विभागवार वांछित सूचना भेजे।

(4) जिन जिलों द्वारा कार्य विभाग के S-Drive में शून्य समाहरण किया गया है एवं प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध नहीं कराया गया है, उन जिलों से कारण–पृच्छा करने का निदेश दिया गया।

सभी वैसे जिलों को बालूघाट, K-लाईसेंस एवं अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरूद्ध S-Drive प्रतिवेदन अविलम्ब भेजने का निदेश दिया गया।

(5) कार्य विभाग में जमा किये गये रॉयल्टी / मालिकाना फीस की राशि का मिलान O-GRASS एवं जिला कोषागार से कराकर अद्यतन सूचना विहित प्रपत्र में मुख्यालय को अविलम्ब भेजे।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह0 / –

(मनेश कुमार मीणा)

निदेशक, खान

सं0सं0:– विविध (बैठक)–10 / 2024–957 / एम0, पटना, दिनांक :– 05/02/26

प्रतिलिपि :– माननीय उप मुख्य (खान एवं भूतत्व) मंत्री के आप्त सचिव / सचिव के प्रधान आप्त सचिव / निदेशक कोषांग / अपर सचिव कोषांग / संयुक्त सचिव / अवर सचिव / विधि पदाधिकारी / उप सचिव / विशेष कार्य पदाधिकारी–I, II / सभी प्रशाखा पदाधिकारी एवं सभी संबंधित पदाधिकारी / सभी सहायक निदेशक / खनिज विकास पदाधिकारी (मु0 / क्षे0) / आई0टी0 प्रबंधक खान एवं भूतत्व विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/2/26

सरकार के अवर सचिव